भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 156

जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय

156. श्री के. सुधाकरन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का विलय करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विलय योजना का विशिष्ट ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसे विलय के खिलाफ निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित विलय के संबंध में आरआरबी कर्मचारियों, बैंकिंग संघों और ग्रामीण समुदायों सहित हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का समामेलन प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (आरआरबी अधिनियम) की धारा 23क के अंतर्गत अभिशासित होता है, जो यह उपबंध करता है कि संबंधित राज्य सरकार, नाबार्ड और प्रायोजक बैंक से परामर्श के बाद यदि केंद्र सरकार को यह लगता है कि यह जन हित में आवश्यक है या किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जिस क्षेत्र में सेवा प्रदान की जा रही है उसके विकास के हित में है या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के हित में है, तो इसके द्वारा दो या उससे अधिक आरआरबी को समामेलित किया जा सकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने वर्ष 2004-05 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संरचनागत समेकन आरंभ किया था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 तक 3 चरणों में आरआरबी की संख्या 196 से घटकर 43 हुई है। वर्तमान में 16 राज्यों में एक आरआरबी और 12 राज्यों में एक से अधिक आरआरबी हैं। दक्षता मान (स्केल एफिशियेंसी) और लागत-युक्तिकरण का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार ने आरआरबी अधिनियम के उक्त उपबंधों के अंतर्गत 'एक राज्य एक आरआरबी' के लक्ष्य के लिए आरआरबी के समेकन की प्रक्रिया को जारी रखा है और संबंधित प्रायोजक बैंकों और राज्य सरकारों से टिप्पणियां मांगी गई है।

******